न्यायालयः— अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या— एक, कासगंज।

उपस्थितः—रत्नेश कुमार श्रीवास्तव, ...(एच0 जे0 एस0)

JO Code No-UP 6095

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या— 975 / 2026

(CNR-UPKR01002152-2026)

हीरालाल पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी ग्राम तुमरिया थाना सोरों जनपद कासगंज।

बनाम

01— उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' कासगंज,

02— वादी मुकदमा अनार सिंह पुत्र श्री सादौन सिंह, निवासी ग्राम बहेडिया, थाना कासगंज, जनपद कासगंज।

मुकदमा अपराध संख्या— 301 / 2025

धारा— 61(2),109, 115(2), 191(3), 191(2), 352 बी0एन0एस0।

थाना— सोरों।

जनपद — कासगंज।

29—06—2026

01— अभियुक्त हीरालाल पुत्र श्री गजराज सिंह की तरफ से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में अभियुक्त ने स्वयं के शपथपत्र को प्रस्तुत किया है।

02— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त नितान्त निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में रंजिशन मिथ्या दोषारोपित किया गया है। अभियुक्त ने उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से सम्बन्धित थाने पर दर्ज करायी गयी है व इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित नहीं है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त का कोई विशिष्ट रोल घटना में दर्शित नहीं किया गया है। पूर्व में सहअभियुक्त की पत्नी रूपवती द्वारा मुकदमा अपराध संख्या— 300 / 2025, अन्तर्गत धारा 109, 115 (2), 190, 191 (2), 191 (3), 324 (4), 352 बी0एन0एस0, थाना सोरों पर दिनॉक 14—06—2025 को डी0एस0 लोधी व अन्य के विरूद्ध पंजीकृत कराया है। उक्त मामले में दबाव बनाये जाने हेतु बाद में यह अपराध पंजीकृत हुआ है। उक्त मामले में दौरान विवेचना ऐसे किसी भी साक्षी का बयान अंकित नहीं हुआ है, जिसने अभियुक्त को सह अभियुक्तगण के साथ घटना कारित किये जाने का आपराधिक षड्यन्त्र कारित करते हुए देखा हो। प्रकरण में वादी की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट घटना का समर्थन नहीं करती है। इस प्रकार उक्त मामला जान से मारने के प्रयत्न का साबित नहीं होता है।

Digitally signed by RATNESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.29 16:04:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सह अभियुक्तगण कुलदीप पाण्डेय, आशीष पाण्डेय व करन कुमार की नियमित जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा अन्य सह अभियुक्तगण की जमानत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कासगंज द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी0बी0आई0 एण्ड अदर्स स्पेशल लीव टू अपील (क्रिमिनल) नंबर– 5191/2021 दिनॉक 07–10–2021 के अन्तर्गत उक्त मामला आता है। उक्त मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी की पूर्ण सम्भावना है। अभियुक्त सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति है, यदि उसकी गिरफ्तारी होकर जेल में निरूद्ध होता है तो उसका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जायेगा। आवेदक शान्तिप्रिय व कानून को मानने वाला व्यक्ति है व अच्छे परिवार से सम्बन्ध रखता है। आवेदक/ अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है तथा आवेदक/अभियुक्त उक्त पते का मूल निवासी है तथा उसके न्यायिक प्रक्रिया से बचकर भागने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्त इस बात की अण्डरटेकिंग देने को तैयार है कि जब भी न्यायालय उसको बुलायेगी, वह अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। आवेदक/ अभियुक्त इस बात की भी अण्डरटेकिंग देने को तैयार है कि वह किसी भी तरीके से साक्ष्य अथवा साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा तथा उस पर न्यायालय द्वारा जमानत के दौरान जो भी शर्ते अधिरोपित की जाती हैं उनको मानने के लिए वह स्वीकार करेगा व न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेगा। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने व इस हेतु स्वयं द्वारा अण्डरटेकिंग व उचित जमानत दिये जाने की याचना करते हुए, दौरान मुकदमा विचारण इस प्रकरण में स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

03– प्रकरण के वादी को जमानत प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रेषित की गयी, जो उस पर बजात खास तामील हुयी, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

04– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकरण की प्राथमिकी वादी अनार सिंह पुत्र सौदान सिंह के द्वारा दिनॉक 15–06–2025 को समय 11:24 बजे, थाना सोरों, जनपद कासगंज पर अभियुक्त व सह अभियुक्तगण को नामजद करते हुए इस कथन के साथ पंजीकृत करायी गयी कि दिनॉक 14–06–2025 को समय लगभग दोपहर 02 बजे वादी अपने अन्य मजदूर साथियों के साथ ग्राम तुमरिया स्थित आशीष सिसोदिया की जमीन गाटा संख्या– 424/ 1 पर बाउण्ड्री कराने हेतु गड्ढा खोद रहा था। मौके पर नायब तहसीलदार सहित राजस्व टीम व पुलिस टीम मौजूद थी। उसी समय कुलदीप पाण्डेय एवं आशीष पाण्डेय पुत्रगण स्वर्गीय चन्द्रशेखर, निवासी गढ़ी थाना ढ़ोलना ने षड्यन्त्र रचकर अपने ड्राईवर हीरालाल पुत्र गजराज सिंह (आवेदक/ अभियुक्त), मोहरपाल पुत्र गजराज सिंह, विनोद साहू पुत्र जगन्नाथ, प्रेमपाल पुत्र ठाकुरदास, रामेश पुत्र जगन्नाथ, निवासीगण तुमरिया, थाना सोरों एवं करन पुत्र नामालूम, निवासी नगरिया

अपने साथ 50 से 60 लोगों के साथ, जो लाठी डण्डों, धारदार हथियारों व तमन्चों आदि से लैस थे, सभी ने एकराय होकर आकर मॉ–बहन की गन्दी गालियॉ देते हुए वादी व अन्य मजदूर साथियों पर जान से मारने के आशय से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे वादी के गोली लगी और उसके व अन्य मजदूर साथियों के गम्भीर चोटें आयीं। इस घटना को दुर्वेश व बीनानाथ आदि के द्वारा देखा जाना बताते हुए उक्त आधारों पर रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की, जिस पर यह अपराध पंजीकृत हुआ। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि वादी व अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है तथा वादी पक्ष को अभियुक्त को मिथ्या नामित करने का कोई हेतुक प्राप्त नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की।

05–अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

06– यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **पी. चिदम्बरम् बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रिमिनल अपील नंबर– 1340/2019 निर्णीत दिनांक 09–09–2019** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए, जिनमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होते हों।

07– इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ देहली) एवं अन्य ए0 आई0 आर0 ऑनलाइन 2020 (एस0 सी0) पृष्ठ 74** में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषिसिद्ध आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुँचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा 34 व धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

08– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में केसडायरी पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक/ अभियुक्त, अपने अन्य सह अभियुक्तों के साथ प्रकरण की प्राथमिकी में नामित है। केसडायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रारम्भ में इस प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक रामप्रकाश के द्वारा सम्पादित की जा रही थी, जिन्होंने आरम्भिक स्तर पर

अभियुक्त पक्ष के लोगों के बावत कोई साक्ष्य न पाये जाने सम्बन्धी विवेचना की, जिस पर वादी अनार सिंह पुत्र सौदान सिंह के द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ को एक शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण के विवेचक उपनिरीक्षक रामप्रकाश व प्रभारी निरीक्षक सोरों के द्वारा इस मुकदमा अपराध संख्या– 301 / 2025 के प्रकरण में विपक्षी पक्ष से मिलकर उन्हें लाभ पहुॅचाते हुए विवेचना को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की याचना की गयी, जिस पर इस प्रकरण की विवेचना जनपद अलीगढ़ स्थानान्तरित की गयी। केसडायरी के पर्चा नंबर– 20 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण के चुटैल / वादी अनार सिंह उर्फ पप्पू, चुटैल सन्तोष सिंह, चक्षुदर्शी साक्षी दुर्वेश व बीनानाथ ने अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हुए अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण की प्रकरण की घटना में आपराधिक संलिप्तता को बताते हुए अपने बयान अंकित कराये हैं। चुटैल सन्तोष व चुटैल / वादी अनार सिंह की आघात आख्यायें केसडायरी में संलग्न हैं, जिनमें वादी / चुटैल अनार सिंह के माथे के मध्य फटी हुयी चोट पायी गयी, जो गम्भीर प्रकृति की पायी गयी तथा हाथ में जो चोट थी, उसको एक्सपर्ट ओपिनियन हेतु भेजा गया व उसकी पूरक आघात आख्या के अनुसार उसमें मैटेलिक छाया पाये जाने पर फोरेंसिक एक्सपर्ट हेतु भेजा गया। चिकित्सक के अनुसार माथे फोरहैड वाली चोट देखने में साधारण प्रकृति की थी, यदि अधिक रक्तस्त्राव हो जाता तो जीवन संकट में पड जाता और बड़ी दुर्घटना होने से मृत्यु होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त केसडायरी के पर्चा नंबर– 22 में विवेचक ने आशीष सिसोदिया की भूमि पर पैमाइश करने गयी टीम नायब तहसीलदार धनवीर सिंह, कानूनगो अनवार अली, कानूनगो नेम सिंह, लेखपाल प्रशान्त वशिष्ठ के बयान दर्ज किये, जिन्होंने इस प्रकरण के वादी अनार सिंह के बयान की सम्पुष्टिकारक बयान देते हुए अभिकथित घटना के दिनॉक 14–06–2025 को आशीष सिसौदिया की जमीन पर पैमाईश करने हेतु थाना सोरों से पुलिस बल को शान्ति व्यवस्था हेतु लेकर जाना बताते हुए पैमाईश करने जाना बताया व कहा कि चार–पॉच मजदूरों में वादी अनार सिंह उर्फ पप्पू भी था और उसके साथ मजदूर थे। मौके पर विक्रेता आशीष सिसौदिया नहीं गये थे, बल्कि उनको जमीन बेचने वाले देवेन्द्र सिंह लोधी गये थे। नायब तहसीलदार के निर्देशन में जब राजस्व टीम के द्वारा सम्बन्धित खसरे की खतौनी के अनुसार पैमाईश की जा रही थी, तभी हीरालाल व मोहरपाल एवं मोहरपाल की पत्नी रूपवती और 23 लोग उनके साथ आये और पैमाईश का विरोध करते हुए उक्त जमीन को हीरालाल की होना बताकर, स्वयं को किसान यूनियन के स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पाण्डेय व आशीष पाण्डेय का ड्राईवर होना बताया व कहा कि उक्त जमीन सडक किनारे खतौनी में किसी के भी नाम हो, हमारी ही रहेगा और समस्त लोग झगड़े पर आमादा हो गये व पैमाइश का काम रोक दिया गया और मौके पर थाना सोरों पुलिस ने हीरालाल व मोहरपाल पक्ष के अन्य लोगों को समझाने पर भी न मानने पर डॉटकर

खदेड दिया। यह पाया गया कि उक्त भूमि, जिसके असली मालिक आशीष सिसौदिया हैं व उक्त भूमि हाइवे किनारे दो रास्ते पर स्थित होने के कारण कीमती है, इसलिए हीरालाल, मोहरपाल, रूपवती ने उक्त जमीन की पैमाइश के बावत रूकावट उत्पन्न की व कुलदीप पाण्डे व आशीष पाण्डेय किसान यूनियन संगठन की आढ में जनपद कासगंज में कहीं भी ऐसे ही योजनाबद्ध तरीके से षड्यन्त्र करके समस्या पैदा कराकर फिर बाद में मौके पर जाकर धरना प्रदर्शन कर अपने आर्थिक लाभ के लिए बीच बचाव कर समझौता कराते हैं और एक योजनाबद्ध व षड्यन्त्र कर सामान्य उद्देशय की पूर्ति करने के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं। इसी प्रकार के बयान अन्य अभियोजन साक्षीगण ने भी दिये हैं। इस प्रकरण के वादी/ चुटैल अनार सिंह उर्फ पप्पू को आयी चोट को चिकित्सक ने उसके जीवन के लिए घातक/ खतरा माना है अर्थात चिकित्सीय अभिमत के अनुसार वादी/ चुटैल को आयी चोट प्राणघातक थी। इस स्तर तक पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने अपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के साथ उपरोक्त घटना कारित की है। इसके अतिरिक्त आवेदक/ अभियुक्त कोई भी ऐसा ठोस आधार दर्शित करने में असफल रहा है, जिससे उसकी प्रश्नगत मामले में संलिप्तता आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होती हो। इसके अतिरिक्त थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार इस प्रकरण के बावत आवेदक/ अभियुक्त हीरालाल पुत्र गजराज सिंह के विरूद्ध विद्वान अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनॉक 30–04–2026 को गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया है, जो कि अभी लम्बित है, अर्थात अभियुक्त को इस प्रकरण में स्वयं के विरूद्ध हो रही कार्यवाही की बावत जानकारी है तथा उसी से बचने हेतु उसकी ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त पर आरोपित आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई अभिमत दिए बिना मैं आवेदक/ अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाता हूॅ तथा आवेदक/अभियुक्त हीरालाल पुत्र गजराज सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 975/2026 खारिज होने योग्य है।

आदेश

09– आवेदक/ अभियुक्त हीरालाल पुत्र गजराज सिंह के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 301/2025, धारा 61 (2), 109, 115 (2), 191 (2), 191 (3), 352 बी0एन0एस0, थाना सोरों, जनपद कासगंज के प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 975/2026 खारिज किया जाता है।

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, कासगंज।
JO Code-UP6095

दिनांकः–29–06–2026